वन विभाग (क)

विज्ञप्तियां

जयपुर, जनवरी 24, 2002

संख्या एफ. 2/2 वन/99: चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन-भूमि, सरकार की सम्पत्ति है अथवा उसमें सरकार के स्वामित्व हैं अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी अंश की हकदार (Entitled) है;

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि तथा बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्तभूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है;

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा तथा स्वरूप के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जायेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 29 की उप धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बन्जर-भूमि में या उस पर सरकार के या प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच या अभिलेखन, जहां तक व्यवहार्य हो उपर्युक्त अभिलेखन की धारा 6, 7, 8, 10, 11, (1) 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जायेगा,

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अनुसरण राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन-भूमि और बन्जर-भूमि को संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा ग्रामों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा;

और उसकी धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित-वन में निम्न वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त संरक्षित कथित वन में सरकार किसी खदान में पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशु पालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची

(वन भूमि और बन्जर-भूमि)

क्र.सं.	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण आराजी न. रकबा
1	2	3	4		6
1	बंशी पहाड़पुर 'ब'	रूपवास	भरतपुर	उत्तर रेलवे लाइन आगरा कांटा दक्षिण-सिर्रा ग्राम पूर्व नाला ग्राम पश्चिम-सिरमिया सिरोंद ग्राम की सीमाऐं	पहाड़पुर ग्राम के खसरा नम्बर 2261/10(1)2, 2333/2471)2, 2348 मि./130(1)3, 2374/7(1)3 शामिल है

द्वितीय अनुसूची

पेड़ों की सूची

संख्या	बॉटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	2	3
1.	Anogeissus pendula wall	धोकड़ा, धौ, कलगी, धोक
2.	Anogeissus latifolia wall	धावड़ा, सफेद धौ, गौर धोक
3.	Aegle marmelos, Correa	बेल
4.	Azadirachta indica, A Juss	नीम
5.	Acacia arbica willd	बबूल
6.	Acacia catechu, willd	खैर
7.	Acacia jaquemonti	बॉली
8.	Acacia senegal	कुमठा
9.	Acacia leucophloea	रोंझ, सफेद खैर
10.	Adina cordifolia, Hook	हल्दू
11.	Albizza lebbek, Benth	काला सिरस

Scanned with CamScanner

[illegible] द्वितीय अनुसूची में [illegible] से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त [illegible] किसी निर्माण प्रक्रिया या [illegible] बनाया जाना और [illegible] में किसी भूमि [illegible] का संग्रह किया जाना [illegible] या मकान बनाने के लिए, या पशु पालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची

(वन-भूमि और बन्जर-भूमि)

संख्या	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण-आराजी नं. रकबा
1	2	3	4	5	6
1	[illegible]	[illegible]	भरतपुर	[illegible], [illegible] ग्राम की सीमाऐं दक्षिण-रेलवे लाइन (आगरा कोटा) पूर्व-पहाड़पुर ग्राम की सीमाऐं पश्चिम-महलपुरचूरा ग्राम की सीमाऐं	ग्राम पहाड़पुर के खसरा नम्बर 2208, 2215 रकबा 131(4.1)2 221)2 2219 2220 30 1 1 1)1, 1 1)4

द्वितीय अनुसूची

पेड़ों की सूची

संख्या	बॉटेनिकल नाम	हिन्दी नाम
1	2	3
1.	Anogeissus pendula wall	धौंकड़ा, धौ, कलधी, धौक
2.	Anogeissus latifolia wall	धावड़ा, सफेद धौ, गोर धौक
3.	Aegle marmelos, Correa	बेल
4.	Azadirachta indica, A Juss	नीम
5.	Acacia arbica willd	बबूल
6.	Acacia catechu, willd	खैर
7.	Acacia jaquemonti	बोंली
8.	Acacia senegal	कुमठा
9.	Acacia leucophloea	छोंकड़ा, सफेद खैर
10.	Adina cordifolia, Hook	हल्दू
11.	Albizza lebbek, Benth	काला सिरस
12.	Albizza procera, Benth	सफेद सिरस
13.	Albizza odoratissima, Benth	चीचोला
14.	Apona squamosa	सीताफल
15.	Alangium lamarckii, Thw.	आकोला
16.	Bassia latifolia, Roxb.	महुवा
17.	Buchanania latifolia, Roxb	चार, चिरौंजी
18.	Bauhinia retusa, Ham	आपटा (सोना)
19.	Bauhinia malabarica, Roxb	झींझा, खादुवा
20.	Bauhinia purpurea, Linn	कचनार
21.	Bauhinia variegata, Linn	कचनार
22.	Boswellia serrata	सालई, सालर
23.	Bridelia retusa, Spreng	कसई
24.	Balanites roxburg hii, Roxb.	हींगोट
25.	Bombax malabaricum, D. C. (Salmalia malabarica, Roxb)	सेमल
26.	Butea frondosa, Koenig.	पलास, खाखरा, ढ़ोला
27.	Bambusa arundinacea, Koenig	कटंग, बांस
28.	Cordia myxa, Linn-	लसोड़ा

Mohit
(मोहित गुप्ता)
उप वन संरक्षक
भरतपुर